राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(35)नियम/डीएलबी/19/23685 जयपुर,दिनांकः 7/2/19

आदेश

प्रायः यह पाया गया है कि नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के विभिन्न कार्यालयों में लम्बित कार्यों को सम्पादित करवाने हेतु बड़ी संख्या में आमजन अपने अभ्यावेदन लेकर आ रहे हैं, जिससे यह आभास होता है कि इन संस्थाओं के स्थानीय कार्यालयों में बिना किसी ठोस कारण के विभिन्न प्रकरण लम्बित रहते हैं और आमजन स्थानीय कार्यालयों के बार–बार चक्कर लगाते रहते हैं एवं मजबूर होकर विभाग में राज्य स्तर पर उपस्थित हो रहे हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि शहरी निकायों में आमजन के लम्बित कार्यों का सर्वे/चिन्हीकरण कराया जावे और अभियान चलाकर उनका समाधान किया जावे।

अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते है कि नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में आमजन के लम्बित कार्यों (जिनकी विषय सूची परिशिष्ट पर संलग्न है) का सर्वप्रथम सर्वे/चिन्हीकरण किया जावे तथा सर्वे/चिन्हीकरण कार्य के उपरान्त लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिये शहरी निकायों में अभियान चलाया जावे।

इस हेतु प्रत्येक शहरी निकाय में लम्बित कार्यों का सर्वे/चिन्हीकरण करने के लिये पालिका/परिषद में वार्डवार/ वार्डो का समूह बनाकर निरीक्षण दल बनाये जाये, एवं नगर निगम द्वारा जोन वाईज वार्ड/वार्डो का समूह बनाकर अपने क्षेत्रों में नगरीय निकायो में उपलब्ध (राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कर निर्धारक /मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक नगर नियोजक/ उप नगर नियोजक/गजधर एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को) इस कार्य हेतु नियुक्त करेंगे। वार्डवार / वार्डो के समूह एवं जोनवार गठित दलों की सूचना दिनांक 20.02.2019 तक संबंधित उप निदेशक (क्षेत्रीय) के माध्यम से अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

वार्डवार/वार्डो के समूह/एवं जोनवार लम्बित कार्यों के सर्वे/चिन्हीकरण का यह कार्य दिनांक 25.02.2019 से दिनांक 25.03.2019 तक सम्पन्न कर लिया

जावें। सर्वे/ चिन्हीकरण में पाये गये लम्बित कार्यों की सूची वार्डवार/वार्डो के समूह वार एवं जोनवार पूर्ण विवरण के साथ इस प्रयोजनार्थ संधारित रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। सर्वे/चिन्हीकरण की इस कार्यवाही का संबंधित उप निदेशक (क्षेत्रीय) द्वारा सघन निगरानी (Close Monitoring) की जावेगी तथा प्रगति से निदेशालय को निरंतर अवगत कराया जावेगा। तत्पश्चात् किये गये सर्वे/चिन्हित प्रकरणों एवं अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिये पूर्व में वर्ष 2012–13 में आयोजित **प्रशासन शहरों के संग अभियान** की तर्ज पर अभियान चलाने का कार्यक्रम अलग से निर्धारित किया जायेगा। अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को इस कार्यक्रम (अभियान) के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

संलग्नः– परिशिष्ट

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/23686-25155 दिनांकः 7/2/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
02. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
05. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
06. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
07. समस्त अधिकारीगण, निदेशालाय।
08. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
09. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ राज0।
11. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ राज0।
12. रक्षित पत्रावली।

7/2

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

वार्डवार/जोनवार सर्वे के दौरान लिये जाने वाले विषयों की सूची

1. कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के नियमन, पट्टे जारी करने बाबत (माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अध्यधीन)।
2. अनुमोदित आवासीय योजनाओं के भूखण्डों के पट्टे जारी करना।
3. एकमुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी करना।
4. भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण।
5. ले–आउट प्लान के अनुमोदन के प्रकरण।
6. भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरण।
7. सीवर लाईन कनेक्शन के प्रकरण।
8. टूटी सड़कों की मरम्मत का कार्य।
9. खांचा भूमि आवंटन के प्रकरण।
10. कच्ची बस्ती के नियमन के प्रकरण (माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अध्यधीन)।
11. जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना।
12. स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टो के प्रकरण।
13. विभिन्न व्यक्तिगत लाभार्थी येाजनाओं के आवेदन तैयार कराने के प्रकरण।
14. वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन प्रकरण।
15. राजकीय भूमि पर दिनांक 31.12.1991 तक के कब्जो का नियमन (माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अध्यधीन)।
16. भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण (माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अध्यधीन)।
17. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–ए के अन्तर्गत पट्टे देने के प्रकरण।
18. भूखण्डो के उपविभाजन/पुनर्गठन के प्रकरण।
19. शहरी निकाय के अन्य प्रकरण जो आमजन से संबंधित हो।